भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *12
(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

आरबीआई की अधिशेष निधि का अंतरण

***12. श्री गोपाल शेट्टीः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमल जालान समिति की जुलाई, 2019 में प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार इस वर्ष के लिये पूंजी अंतरण के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अधिशेष आरक्षी निधि से संबंधित समस्या का समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार को आरबीआई से भविष्य में अतिरिक्त लाभांश प्राप्त किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में आरबीआई से कितना लाभांश प्राप्त होने की संभावना है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आरबीआई की अधिशेष निधि के अंतरण के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये 18 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड द्वारा 19 नवम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत सरकार के साथ परामर्श में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा आर्थिक पूंजी संरचना की समीक्षा करने और, *अन्य बातों के साथ-साथ,* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए रखे जाने के लिए आवश्यक जोखिम प्रावधान के पर्याप्त स्तर का सुझाव देने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सभी संभावित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त अधिशेष वितरण नीति का प्रस्ताव करने के लिए 26 दिसम्बर, 2018 को डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने, 26 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं और जोखिम प्रावधान और अधिशेष अंतरण का निर्धारण करने के लिए संशोधित संरचना का उपयोग करके 2018-19 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया था। 30 जून, 2019 को समाप्त वर्ष 2018-19 के लिए, सरकार को अधिशेष का अंतरण समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया था और तद्नुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को ₹1,75,987 करोड़ की राशि अंतरित कर दी गई थी, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए अधिशेष की ₹1,23,350 करोड़ की राशि शामिल थी, जिसमें से ₹28,000 करोड़ की राशि 28 मार्च, 2019 को अंतरिम लाभांश के रूप में पहले ही अदा कर दी गई थी, और ₹52,637 करोड़ के आधिक्य प्रावधान को संशोधित आर्थिक पूंजी संरचना (ईसीएफ) के अनुसार राशि और चिह्नित किया गया था।

(ग) और (घ): भारतीय रिजर्व बैंक की अधिशेष वितरण नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किया जाता है। विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुशंसित और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत अधिशेष वितरण नीति का ब्यौरा समिति की रिपोर्ट के पैराग्राफ 4.84-4.87 में दिया गया है। आने वाले वर्षों में सरकार को अधिशेष अंतरण की मात्रा आगामी वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की निवल आय, भारतीय रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के प्रतिशत के रूप में 'अपेक्षित वसूली गई इक्विटी' और भारतीय रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के प्रतिशत के रूप में 'उपलब्ध वसूली गई इक्विटी' पर निर्भर करेगी, तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा स्वीकृत समिति की सिफारिशों के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के विधिक उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

*****